

फर्द अहकाम

उपखण्ड अधिकारी सांगानेर
 नीच उर्फ तुमली बनाम चिरपीलाल कौं

मा संख्या / वर्ष I 66/22 : _____ /20_____

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
---------------------------	----------------------	-------------

5/6/23

आज यह पञ्जावली न्यायालय राज्वा
 अपील प्राधिकारी, जयपुर के निर्णय
 दि० 3/7/23 द्वारा अपीलार्थी की अपील
 स्वारिज की जाकर इस न्यायालय को
 प्रेषित की गई। वकील पार्थी का कथन
 है कि मुझ दावा श्रीमान के न्यायालय में
 दिनांक 28/6/23 को वाद वादी विज्ञा के
 आधार पर स्वारिज किया जा चुका है
 अब अपील पञ्जावली को स्वारिज किसे
 जाये। मुझ दावा पञ्जावली व अपीलार्थी
 पञ्जावली का आधीपान्त अवगोचर किया
 गया। वादी का वाद पञ्जावली दिनांक
 28/6/23 को विज्ञा के आधार पर स्वारिज
 किया जा चुका है। अंकि 1.9 अपील
 न्यायालय RAA जयपुर अपील में वि काराधीन
 था अब अपील का निर्णय पश्चात् मुझ अपील
 इस न्यायालय को प्राप्त हुई है। अंकि मुझ
 दावा अन्तर्गत धारा 53 व 188 RTI वाद
 वादी दिनांक 28/6/23 को निर्णय हो चुका
 है अब अपील पार्थी पर कोई कार्रवाई
 अपेक्षित नहीं रह जाती है। अतः पार्थी
 का अपील 1.9 स्वारिज किया जा रहा है।
 पञ्जावली नम्बा से काग होकर वाद तकनीक
 मुझ वाद के साथ संलग्न हो। (सुनाभा गण)

उपखण्ड अधिकारी
 जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

